



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268922
CG-DL-E-30122025-268922

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5891]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5891]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSAH 9, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6091(अ).—केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 100 मिलीग्राम से ज्यादा निमेसुलाइड वाले सभी ओरल फॉर्मूलेशन का इस्तेमाल इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है और इस दवा के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि लोगों के हित में देश में इंसानों के इस्तेमाल के लिए इस दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाना आवश्यक और उचित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात, निम्नलिखित दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से, रोक लगाती है, जो इस प्रकार है: -

“सभी ओरल फॉर्मूलेशन जिनमें इमीडिएट रिलीज़ डोज़ेज़ फॉर्म में 100 मिलीग्राम से ज्यादा निमेसुलाइड होता है।”

[फा.सं. एक्स.11035/100/2024-डीआरएस]

हर्ष मंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6091(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of all oral formulations containing Nimesulide above 100 mg in immediate release dosage form are likely to involve risk to human beings and that safer alternatives to the said drug is available;

And, whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit the manufacture, sale and distribution of the said drug in the country for human use;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), and after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, the Central Government, hereby prohibits the manufacture, sale and distribution of the following drug, with immediate effect, namely:-

“All oral formulations containing Nimesulide above 100 mg in immediate release dosage form.”

[F. No. X.11035/100/2024-DRS]

HARSH MANGLA, Jt. Secy.